न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 131/2020(2020/00136)

अनवान : –

1. रोहतास पुत्र कृष्ण जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. कृष्ण पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
2. रामसिंह पुत्र कृष्ण जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
3. सरस्वती पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
4. सुमित्रा देवी पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री खेताराम कस्वा वादी
श्री अमित देहडू प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 24/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 12 बीएचडी के खाता संख्या 10/12 के मु0न0 39 के किला न0 17 ता 24 की कुल 2.024 हैक्टेयर, चक 11 बीएचडी के खाता संख्या 4/4 के मुरब्बा न0 30 के किला न0 1 ता 9 की कुल 2.277 है0 प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा लालचन्द की खातेदारी हुआ करती थी। लालचन्द के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी कृष्ण ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी कृष्ण ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी कृष्ण के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:12:38 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण को वादी के दादा लालचन्द से विरासतन प्राप्त हुई है। चक 12 बीएचडी जमबान्दी सम्वत 2029–38 खाता संख्या 27, चक 11 बीएचडी जमाबन्दी सम्वत

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

2029–38 खाता संख्या 30 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 व 4 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को सुधार करना चाहते है जिसके लिए उसे केसीसी ऋण आदि की आवश्कता रहती है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज रोही मौजा चक 12 बीएचडी के खाता संख्या 10/12 के मु0न0 39 के किला न0 17 ता 24 की कुल 2.024 हैक्टेयर, चक 11 बीएचडी के खाता संख्या 4/4 के मुरब्बा न0 30 के किला न0 1 ता 9 की कुल 2.277 है0 प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी रोहतास पुत्र कृष्ण जाति जाट निवासी डोभी के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 12 बीएचडी सम्वत 2074–77 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 11 बीएचडी सम्वत 2072–75 प्रदर्श 2, नामान्तरकरण रजिस्टर चक 12 बीएचडी प्रदर्श 3, नामान्तरकरण रजिस्टर चक 11 बीएचडी प्रदर्श 4, नामान्तरकरण रजिस्टर चक 12 बीएचडी प्रदर्श 5, नामान्तरकरण रजिस्टर चक 11 बीएचडी प्रदर्श 6, सरपंच ग्राम पंचायत डोभी के द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र पदर्श 7 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही रोही मौजा चक 12 बीएचडी के खाता संख्या 10/12 के मु0न0 39 के किला न0 17 ता 24 की कुल 2.024 हैक्टेयर, चक 11 बीएचडी के खाता संख्या 4/4 के मुरब्बा न0 30 के किला न0 1 ता 9 की कुल 2.277 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण के खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दोदालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:12:38 IST
Reason: SelfAttested

SDV
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 बीएचडी के खाता संख्या 10/12 के मु0न0 39 के किला न0 17 ता 24 की कुल 2.024 हैक्टेयर, चक 11 बीएचडी के खाता संख्या 4/4 के मुरब्बा न0 30 के किला न0 1 ता 9 की कुल 2.277 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण के नाम खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी कृष्ण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी रोहतास व प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण व प्रतिवादी संख्या 2 रामसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
RAS
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:12:38 IST
Reason: SelfAttested